न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 02/2022
दायर दिनांकः 07.03.2022
निर्णय दिनांक 11.11.2022

—: अनवान :—

श्री हरिसिंह उर्फ हिरसिंह पिता किशनसिंह जी राजपुत आयु वयस्क निवासी मादरेचा का गुडा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द **— अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये पटवारी हल्का कालिन्जर तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द **— रेस्पोण्डेन्टगण**

न्यायालय तहसीलदार साहब कुम्भलगढ जिला राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 262 सन् 2021 ना0क० में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2022 के विरूद्ध अपील

उपस्थितः—

1— श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा प्रकरण 262/2021 ना0क0 में पारित निर्णय दिनांक 25. 01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने में विधि सम्बन्धी एवं तथ्य सम्बन्धी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलाण्ट को बिना सूचित किये एवं सुनवाई का अवसर दिये कतिपय व्यक्तियों के प्रभाव के कारण जो निर्णय किया वह गलत है। अपीलाण्ट मजदुरी निमित मुम्बई महाराष्ट्र में रहता है, दिनांक 21.01.2022 को भी अपीलाण्ट मुम्बई में था तथा जो सूचना पत्र दिया वह अदम तामील लौटा। अधिनस्थ न्यायालय ने अदम तामील के बावजुद भी जाब्ता दिवानी के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए अदम तामील नोटिस के बाद भी अपीलाण्ट को अनुपस्थित बता अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से इस प्रकार का निर्णय अवैध रहता है। ग्राम मादरेचा का गुडा की आराजी नम्बर 576 पर शिकायतकर्ताओं के भी मकान बने हुए है तथा अन्य व्यक्तियों के मकान बने हुए है तथा अपीलाण्ट का भी पुश्तैनी समय से पुश्तैनी कच्चा मकान बना हुआ था उस जगह अपीलाण्ट बडी मुश्किल से मेहनत मजदुरी कर अपने रहवास का मकान उसी जगह बना रहा है जिसके पडौस निम्न है कि उत्तर में :— आम सडक, दक्षिण में :—

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किशन सिंह जी का मकान, पूर्व में :– डुंगरसिंह पिता कुशाल सिंह जी का भूखण्ड व मकान तथा पश्चिम में :– किशनसिंह जी का भूखण्ड अपीलाण्ट का केवल मात्र 25 x 25 वर्गफिट पर रहवास का मकान है। इसी आराजी पर शिकायतकर्ताओं के भी मकान बने हुए है तथा वे लोग अपीलाण्ट से द्वेष रखते है तथा ये लोग ताकतवर एवं प्रभावशाली है। उसी भूमि पर अन्य मकानो एवं भूखण्ड को छोडकर केवल मात्र अपीलाण्ट का मकान वापस नही बन सके। इसलिए गलत शिकायत की उसी आधार पर पटवारी हल्का ने केवल मात्र अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय ने उसी पर विश्वास करते हुए अपीलाण्ट को बिना सूचित किये व सूने जो निर्णय पारित किया वह अवैध है। अपीलाण्ट मुम्बई से आया और दिनांक 09.02.2022 को मौके पर पटवारी साहब के आने एवं कार्यवाही करने की जानकारी हुई जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने तहसील में जाकर जानकारी कर नकले निकलवाई तो निर्णय की जानकारी होने पर अपीलाण्ट जरिये अधिवक्ता कर अपील प्रस्तुत करा रहा है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने में विधि सम्बन्धी एवं तथ्य सम्बन्धी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलाण्ट को बिना सूचित किये एवं सुनवाई का अवसर दिये कतिपय व्यक्तियों के प्रभाव के कारण जो निर्णय किया वह गलत है। अपीलाण्ट मजदुरी निमित मुम्बई महाराष्ट्र में रहता है दिनांक 21.01.2022 को भी अपीलाण्ट मुम्बई में था तथा जो सूचना पत्र दिया वह अदम तामील लौटा। अधिनस्थ न्यायालय ने अदम तामील के बावजुद भी जाब्ता दिवानी के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए अदम तामील नोटिश के बाद भी अपीलाण्ट को अनुपस्थित बता अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो की प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से इस प्रकार का निर्णय अवैध रहता है। ग्राम मादरेचा का गुडा की आराजी नम्बर 576 पर शिकायतकर्ताओं के भी मकान बने हुए है। उसी भूमि पर अन्य मकानो एवं भूखण्ड को छोडकर केवल मात्र अपीलाण्ट का मकान वापस नही बन सके इसलिए गलत शिकायत की उसी आधार पर पटवारी हल्का ने केवल मात्र अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय ने उसी पर विश्वास करते हुए अपीलाण्ट को बिना सूचित किये व सूने जो निर्णय पारित किया वह अवैध है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत व नियमानुसार है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण में अपीलान्ट का यह कथन है कि अपीलान्ट का मकान राजकीय बिलानाम भूमि पर पुश्तैनी कच्चा मकान बना हुआ है। तथा वहां पर अन्य व्यक्तियों के भी मकान बने हुए है जब सभी व्यक्तियों के अतिक्रमण हटाया जाए तभी उसका अतिक्रमण हटाया जाए अन्यथा नहीं हटाया जाए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जो कार्यवाही केवल अपीलान्ट के विरूद्ध ही अपीलान्ट को बिना सूने जो निर्णय पारित किया उसे अपास्त फरमाया जावे।

इस संबंध में प्रार्थी का यह कथन व्यवहारिक रूप से तो सही माना जा सकता है। परन्तु विधिक रूप से उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि जब यह स्थापित हो गया हो और स्वीकृत तथ्य हो कि प्रार्थी का राजकीय बिलानाम भूमि पर कब्जा है तो उस अवैध कब्जे को हटाना तहसीलदार का दायित्व है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। साथ ही प्रार्थी के द्वारा इस बिलानाम भूमि पर कब्जा करके निर्माण कार्य किया जा रहा था तब निर्माण कार्य आगे नहीं करने के लिए प्रार्थी के पिता श्री किशन सिंह को पाबन्द भी किया गया और चेतावनी भी दी गई कि निर्माण जारी रखोगे तो आप स्वयं जिम्मेदार होगें और इस संबंध में पर्चा भी मूर्तिब किया गया तथा उपस्थित सभी व्यक्तियो के हस्ताक्षर भी करवाये गये। उस समय अतिक्रमी के पिता श्री किशन सिंह मौके पर मौजूद थे और उनके भी हस्ताक्षर इस पर लिए गए। जिससे यह प्रमाणित होता है कि तहसीलदार द्वारा की गयी कार्यवाही विधिसम्मत है।

अतः तहसीलदार द्वारा बिलानाम भूमि पर अतिक्रमी को हटाने के लिए जो निर्णय लिया गया है उसमें कोई त्रुटी नहीं समझता हूॅ। तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करना न्यायोचित समझता हूॅ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2022 को यथावत रखा जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार कुंभलगढ़ को लौटायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)